बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

इंदिरा आवास योजना के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण एवं अनिवार्य बातें

1. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे (बी०पी०एल०) परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता दी जाती है ।

2. यह घर उस बी०पी०एल० परिवार के महिला सदस्य या पति–पत्नी के संयुक्त नाम से आवंटित किया जायेगा ।

3. कम से कम 60 प्रतिशत बी०पी०एल० परिवार अनुसूचित/जाति जन जाति के हों तथा इसमें 3 प्रतिशत विकलांग हों ।

4. इस योजना में एक नये घर का निर्माण तथा पुराने कच्चे मकान के उन्नयन दोनों के लिए सहायता प्राप्त की जा सकती है ।

5. योजना के लाभुकों का चयन अद्यतन बी०पी०एल० सूची के आधार पर पंचायतवार तैयार की गई स्थायी प्रतीक्षा सूची से क्रमवार तरीके से किया जाना है । बी०पी०एल० सूची से सबसे गरीब अनुसूचित जाति/जन जाति परिवार एवं गैर अनुसूचित जाति/जन जाति परिवार की अलग–अलग प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी और प्रत्येक वर्ष इसी सूची से 3 प्रतिशत विकलांग सहित लाभुकों का क्रमवार चयन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

6. इस योजना में नये मकान के निर्माण के लिए 25000 रुपये की सहायता दी जाती है । पूर्व निर्मित कच्चे मकान के उन्नयन हेतु 12500 रुपये की सहायता दी जाती है । गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार जिनकी वार्षिक आय 32000 रुपये है को 12500 रुपये अनुदान के रूप में तथा 50000 रुपये तक बैंक ऋण के रूप में प्राप्त हो सकता है ।

7. प्रखंड विकास पदाधिकारी वार्षिक लक्ष्य के अनुसार चयनित लाभुकों को नव निर्माण हेतु आवास स्वीकृत करेंगे तथा उसकी सूचना संबंधित व्यक्ति को देंगे एवं उस व्यक्ति के नाम से नजदीकी बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाऐंगे । फोटो सहित खाता खुलवाने की संपूर्ण जिम्मेवारी प्रखंड विकास पदाधिकारी की है । प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वीकृत लाभुकों की सूची ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् एवं उप विकास आयुक्त को भी उपलब्ध करायेंगे एवं उसकी एक प्रति प्रखंड के सूचना पट् पर भी लगायेंगें ।

8. लाभान्वित को अधिकतम छः माह के अन्दर घर बना लेना है । घर का निर्माण स्वयं करना है । चयनित लाभार्थी अपना घर बनाने का यह सुनहरा अवसर न खोएं । घर के लिए दी गई राशि से लाभान्वित द्वारा घर निर्माण न कर अन्य रूप से राशि का दुरूपयोग करने की स्थिति में उनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दायर कर राशि वसूल की जायेगी ।

9. बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रत्येक लाभुक को 24000 रुपये प्रथम अग्रिम के रूप में लाभुक के नाम बैंक खाता में जमा करेंगे । उसके लिए एक पंचायत के सभी लाभुकों को प्रथम किश्त के रूप में दी जा रही कुल राशि का एक समेकित चेक बैंक/पोस्ट ऑफिस को निर्गत किया जायेगा । चेक के साथ एक एडवाईस होगा जिसमें लाभुकों के नाम, खाता नंबर एवं उनके खाता में 24000 रुपये की राशि जमा करने का निदेश भी होगा । राशि खाता में जमा हो जाने के बाद लाभुक आश्यकतानुसार पैसा निकाल कर घर निर्माण का कार्य कर सकेंगे । शेष 1000 रुपये शौचालय एवं धुम्र रहित चूल्हा का निर्माण पूरा होने पर लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगा ।

10. लाभुकों को चाहिए कि वे पैसा निकालने के लिए 10–15 का समूह बना कर बैंक जाएँ । साथ हीं सामग्री क्रय करने हेतु भी समूह में जायें ताकि उन्हें कोई असुविधा नहीं हो तथा दलाल/बिचौलिये के हाथों से बच सकें ।

11. कोई बी०पी०एल० परिवार के घर यदि अग्निकाण्ड अथवा दंगे के दौरान ध्वस्त होते हैं तो ऐसे परिवारों को भी इंदिरा आवास मिलेगा । ऐसे परिवारों के घर बनाने के लिए जिला पदाधिकारी स्वीकृति देंगे तथा उसके लिए तुरंत सहायता राशि उपलब्ध कराऐंगें ।

12. बाढ़ में ध्वस्त बी०पी०एल० परिवार के घरों के लिए प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार से स्वीकृति मांगना है ।

13. प्रत्येक इंदिरा आवास के साथ एक शौचालय तथा एक धुआँरहित चूल्हा (रु० 100) भी बनाना है । पेड़ भी लगाएँ । शौचालय निर्माण सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत देय रुपये 1200/– लाभुक को अपने हिस्से का रु० 300/– एवं इंदिरा आवास योजनान्तर्त देय 600/– रूपये की राशि से होगा । स्वीकृत इंदिरा आवास के साथ शौचालय निर्माण हेतु 1200 रुपये प्रति शौचालय की दर से सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान योजना से राशि उप विकास आयुक्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें ।

14. प्रत्येक निर्मित इंदिरा आवास में 30/– रूपये की दर से एक सूचना पट् (ग्रामीण आवास के प्रतीक चिह्न के साथ) लगाया जायेगा । इसका खर्च जिला/प्रखंड खाते में इंदिरा आवास बैंक खाता में अर्जित सूद से दिया जायेगा ।

15. अभी तक वार्षिक लक्ष्य की 50 प्रतिशत राशि सभी जिलों को दी जा चुकी है एवं उसके अनुसर लाभुकों के चयन एवं पैसा का भुगतान का आदेश दिया जा चुका है । प्रथम किस्त का यह कार्य दिनांक–30.11.06 तक पूरा होना चाहिए । जिन बी०पी०एल० परिवार को वर्ष 2006–07 में आवास के लिए चयनित नहीं किया गया है उन्हें अगले वर्षों में प्रतीक्षा सूची के अनुसार आवास आवंटित किया जायेगा ।

16. ऐसे परिवार जिन्हें आवास के लिए अपनी जमीन उपलब्ध नहीं है उन्हें राजस्व विभाग से वासगीत पर्चा दिया जायेगा या उपयुक्त गैर मजरूआ मालिक जमीन या चार (4) डेसीमल भूमि अर्जित कर उपलब्ध करायी जायेगी जिसपर इंदिरा आवास का निर्माण कराया जा सकता है ।

17. सभी उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं उनके सहयोगी कर्मीगण इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन जल्द से जल्द निष्ठापूर्वक करें ताकि द्वितीय किस्त की राशि शीघ्र मिल सके ।

18. कार्यक्रम के बारे में किसी प्रकार की सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है ।

19. इंदिरा आवास का आवंटन निःशुल्क किया जाता है । इसके लिए किसी भी स्तर पर घूस नहीं दिया जाय । बिचौलिया या दलाल की बातों में न आयें । शिकायत होने पर जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से सम्पर्क करें ।

20. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी कृपया इंदिरा आवास योजना से संबंधित अपने प्रमुख पाँच सुझाव विज्ञापन प्रकाशन के 10 दिनों के अंदर E-mail पता rlrsec-bih@nic.in को भेजें ।

सरकार के संयुक्त सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग